राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.6(4)वित्त/बीमा/2020/NSDL जयपुर, दिनांक 18.07.2025

परिपत्र

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, राज्य में प्रतिनियुक्त केन्द्र सरकार के कार्मिक तथा अन्य राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिकों के एनपीएस/यूपीएस अंशदान राशि को यथा समय एनपीएस सेन्ट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेन्सी/सीआरए सिस्टम में बिना किसी विलम्ब के सुचारू रूप से हस्तांतरित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:

1. एनपीएस/यूपीएस प्रान जारी करने, मास्टर डाटा अपडेट कराने आदि से संबंधित कार्यों के यथासमय सम्पादन हेतु निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सिंगल डीडीओ बनाया जावें। यह कार्यवाही संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) के स्तर से सुनिश्चित की जावें।
2. एनपीएस/यूपीएस के अन्तर्गत प्राप्त निजी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान राशि के समायोजन हेतु निदेशक, बीमा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सिंगल डीटीओ (डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर एनपीएस के संदर्भ में) बनाते हुए बजट मद 8342-00-117-01-00 (अंशदाताओं का एनपीएस अंशदान) तथा बजट मद 2071-01-117-01-01 (नियोक्ता अंशदान) की राशि मासिक रूप से आहरित कर पीडी खाते में पुस्तकीय समायोजन की कार्यवाही की जावे। इस हेतु सभी अपेक्षित एक्सेस राइट्स आईएफएमएस द्वारा निदेशक, बीमा को दिया जाये। यह कार्यवाही आईएफएमएस एवं निदेशक, बीमा के स्तर से सुनिश्चित की जावें।

   इसी प्रकार यूनिफाईड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के लेखांकन के लिए भी पृथक से बजट मद खोलने एवं जब तक नया बजट मद नहीं खोला जाता है तब तक अलग कटौती आईडी से लेखांकन आईएफएमएस एवं निदेशक, बजट के स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
3. एनपीएस/यूपीएस से संबंधित बिलों की अधिकृति हेतु एकल कोषालय (जयपुर शहर) की सहमति वित्त (वित्तीय नियम) विभाग द्वारा दी जाकर आईएफएमएस द्वारा कोषाधिकारी, जयपुर (शहर) को इस कार्य हेतु अधिकृत किया जाये। यह कार्यवाही निदेशक, कोष एवं लेखा (DTA) के स्तर से सुनिश्चित की जावे।
4. एनपीएस/यूपीएस के प्रयोजन से समस्त कोषालयों की सिंगल डीडीओ से मैपिंग निदेशक, बीमा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं आईएफएमएस द्वारा सुनिश्चित की जावे।
5. वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के वेतन से एनपीएस कटौती बजट मद 8342-00-117-01-00 में हो रही है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय कर्मचारी जो राज्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर है, उनके वेतन से एनपीएस कटौती हेतु पूर्व में बजट मद 8342-00-117-03-01 निर्धारित था, उसी मद को पुनः प्रचलन में लाया जाकर संबंधित की एनपीएस कटौती आईएफएमएस (DTA)

के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जो कार्मिक केन्द्रीय सरकार/अन्य राज्य सरकारो से प्रतिनियुक्ति पर राज्य में कार्यरत है उनकी नियोक्ता अंशदान के रूप में कटौती केन्द्र सरकार/उन राज्य सरकारों में प्रभावी दर से की जावे, यदि राज्य सरकार की प्रतिनियुक्ति की शर्तो मे कोई अन्यथा उल्लेखित नहीं हो तथा इसका प्रावधान आईएफएमएस में किया जावे।

6. भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी यूपीएस में अंशदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान भारत सरकार के अनुरूप किया जाना उचित है। आईएफएमएस में तदानुसार परियोजना निदेशक, आईएफएमएस द्वारा आवश्यक प्रावधान किया जावे।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त के सक्षम स्तर से एनपीएस संबंधित भुगतान प्रक्रिया को ECS Ceiling से मुक्त किए जाने की सहमति दी जा चुकी है। अतः तदनुसार कार्यवाही निदेशक, बजट के स्तर से सुनिश्चित की जावे।
8. राज्य के एनपीएस/यूपीएस अंशदाताओं को मासिक अंशदान राशि Real Time Basis पर CRA System में हस्तांतरित हो सके इस हेतु शीघ्रताशीघ्र दोनों पोर्टल का पूर्ण इंटीग्रेशन कराया जावें। यह कार्यवाही आईएफएमएस/निदेशक, बीमा तथा सीआरए द्वारा सुनिश्चित की जावें।
9. अखिल भारतीय सेवा के एनपीएस/यूपीएस के अशंदाताओं की अंशदान राशि वेतन कटौती के पश्चात (जहां अंशदाता के कारण विलम्ब नहीं हुआ हो) यदि एनपीएस सीआरए सिस्टम में विलम्ब से हस्तांतरित होती है तो ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जारी OM dated 12.4.2019 and 7.1.2020 एवं CCS (Implementation of NPS) Rules 2021 के नियम 8 के अनुरूप प्रावधायी निधि में समय–समय पर देय दरों के अनुसार ब्याज दिया जावें। यह कार्यवाही वित्त (नियम–II) विभाग के द्वारा सुनिश्चित की जावें।

अतः अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, राज्य में प्रतिनियुक्त केन्द्र सरकार के कार्मिक तथा अन्य राज्य सरकारों के कार्मिकों के एनपीएस/यूपीएस अंशदान राशि को यथा समय सेन्ट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेन्सी (सीआरए) सिस्टम में बिना किसी विलम्ब के सुचारू रूप से हस्तांतरित किये जाने हेतु उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(नवीन जैन)
शासन सचिव, वित्त (व्यय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय/राज्य मंत्री महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकर, लेखा एवं हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान जयपुर।

7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक (बजट) शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, (सांख्यिकी) मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान जयपुर।
13. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु।
15. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव 18/7/25